पत्रांक :–5/यो.1–05/2011 (उ0 शि0) 247/905
झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0–हिनू, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 12/02/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू अंतर्गत मॉडल महाविद्यालय, लातेहार की स्थापना हेतु रू0 7,97,57,150/– (सात करोड़ संतानवे लाख संतावन हजार एक सौ पचास रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध राशि रू0 42,78,000/– (बयालीस लाख अठहत्तर हजार रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंगः– 1.विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 1079 दिनांक 27.08.2012
2. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची पत्रांक 2734(नि0) दिनांक 25.10.2025

आदेश – स्वीकृत।

झारखण्ड राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वृहत्तर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। Gross Enrollment Ratio (GER) के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एवं छात्रों को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे है।

2. राज्य के पिछड़े जिलों में उच्च शिक्षा के विकास एवं विस्तार की आवश्यकता को देखते हुये राज्य सरकार ने शैक्षणिक रूप से पिछड़े 13 जिलों में मॉडल महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है। इन 13 जिलों में लातेहार जिला भी सम्मिलित है।

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान लघुशीर्ष –102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 400.00 करोड़ का बजट उपबंध है।

4. वित्तीय वर्ष 2025–26 में नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू अंतर्गत मॉडल महाविद्यालय, लातेहार की स्थापना हेतु रू0 7,97,57,150/– (सात करोड़ संतानवे लाख संतावन हजार एक सौ पचास रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध राशि रू0 42,78,000/– (बयालीस लाख अठहत्तर हजार रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है–

Sl.No.	Item	Amount in Rs.
1	Administrative Approval	7,97,57,150.00
2	Agreement Value	8,41,13,183.00
3	Excess/Savings (Net Increase)	9,21,073.85
4	Price Adjustment as per clause 47 of SBD	22,97,107.73
5	Operational Charge of JSBCCL	69,47,746.93
6	Total Cost of Project (2+3+4+5)	9,42,79,111.51
7	Total amount Released till date	9,00,01,106.00
8	Balance Amount (6-7)	42,78,005.51

Say Rs. 42,78,000.00

5. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–26 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष–"मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03-- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–102--विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष–BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान , 01– उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78--पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड–21S220203102BP010678) (स्कीम कोड--2104) के अंतर्गत होगा।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.23 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

7. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
1079 दिनांक 27.08.2012, 194 / बजट दिनांक 05.09.2018 एवं 331 / बजट दिनांक 29.11.2021	9,00,01,106 / –	9,00,01,106 / –

8. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

10. नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता– 2016 के नियम– 339–344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध करा दी जायेगी।

11. स्वीकृत्यादेश संख्या 1079 दिनांक 27.08.2012 की अन्य शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

14. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण / वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

12.2.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5 / यो.1–05 / 2011 (उ0 शि0) 247/बजट / राँची, दिनांक– 12/02/2026

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.2.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5 / यो.1–05 / 2011 (उ0 शि0) 247/बजट / राँची, दिनांक– 12/02/2026

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची / निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव / कुलसचिव, नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा) / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.2.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

(समीर कुमार)	(राम सूचित कुमार)	(सुधीर कुमार)
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	प्रशाखा पदाधिकारी	अवर सचिव